न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

राजस्व वाद संख्या 34 / 2026

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
सफे खान पुत्र अकबर खान जाति लंगा, निवासी लंगो की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. तहसीलदार शिव 2. गुलाबसिंह पुत्र मूलसिंह जाति राजपुत, निवासी भींयाड़ तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. मगदान पुत्र बधुदान जाति चारण, निवासी करणीसर तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. राणकंवर पत्नी लालसिंह जाति राजपुत, निवासी अमरसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाडमेर 5. शाखा प्रबंधक, आरएमजीबी शाखा शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 08.05.2026

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की आवगी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा लंगो की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 365 रकबा 17.4095 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराज़ी वादी को उनके पिता के फौत होने पर विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी का विरासती नामांतरकरण वादी के नाबालिग होने पर उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भरवाया गया, जिसमें वादी का गलत घरेलु व आम बोलचाल का नाम सकू पुत्र अकबर का अंकन करवा दिया गया जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम सफे खान पुत्र अकबर खान है। वर्तमान में वादी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम दर्ज होने से उसे सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, बैंक डायरी, पैन कार्ड व जन आधार आदि में उनका सही एवं वास्तविक नाम सफे खान पुत्र अकबर खान दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज गलत नाम सकू पुत्र अकबर के स्थान पर सही नाम सफे खान पुत्र अकबर खान घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी स्वयं द्वारा उपस्थित होकर साक्ष्य स्वरूप बयान शपथ पत्र पेश किया गया। दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम सकू पुत्र अकबर के स्थान पर सही नाम सफे खान पुत्र अकबर खान होना घोषित करते हुए तद्नुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सकू पुत्र अकबर दर्ज है, जबकि वाद पत्र के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, बैंक डायरी, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में वादी का नाम सफे खान पुत्र अकवर खान दर्ज है। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र पेश किया गया है। वादी अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् निवेदन किया गया है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सकू पुत्र अकबर के स्थान पर सही नाम सफे खान पुत्र अकबर खान दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा लंगो की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 365 रकबा 17.4095 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम सकू पुत्र अकबरं के स्थान पर सही नाम सफे खान पुत्र अकबर खान होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) शिव बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 08.05.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव
सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner